न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी	:	मदनलाल बालोटिया, आर.जे.एस. (यूआईडी-आरजे 00986)
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या	:	380/2002
सीएनआर नम्बर	:	RJDG070011852026

राजस्थान राज्य -- अभियोगी

बनाम

1. पोपटलाल पिता भीखालाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी सीमलवाड़ा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर (राज.) **(न्यायिक अभिरक्षा में)**
2. हरिओम पिता गणेशलाल, उम्र वयस्क **(निर्णय दिनांक 26.04.2011)**
3. जितेन्द्र पिता भूराराम, उम्र वयस्क, निवासीयान घोटाद, पुलिस थाना चितरी, जिला डूंगरपुर (राज.) **(निर्णय दिनांक 26.04.2011)**
4. राकेश सिंह पिता नन्दकिशोर, उम्र, निवासी दोदापुर, पुलिस थाना बेवर, जिला मैनपुरी (उ.प्र.) **(निर्णय दिनांक 26.04.2011)**

-- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380, 120बी भा.द.सं.

उपस्थितः

1. अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री अनिरूद्ध सिंह चुण्डावत, अभियुक्त संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 04.06.2026

1. इस प्रकरण का उद्भव अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, चितरी की ओर से अभियुक्तगण पोपटलाल, हरिओम, जितेन्द्र व राकेश सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 120बी भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में ''भा.द.सं.'') में अभियोग-पत्र दिनांक 07.06.2002 को प्रस्तुत किये जाने पर हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 के विरुद्ध दिनांक 26.04.2011 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अब यह निर्णय केवल अभियुक्त संख्या 1 पोपटलाल के विरुद्ध ही पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.03.2002 को परिवादी पी.डब्ल्यू. 1 नरेन्द्र कुमार एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 थानाधिकारी, पुलिस थाना चितरी के समक्ष इस आशय की पेश की कि गलियाकोट जैन मन्दिर के सामने उनके समाज का रिद्धी-सिद्धी गणेशजी का मन्दिर स्थित है, जिसमें प्राचीनकाल की गणेशजी की प्रतिमा

Authenticated document

साईज 2 गुणा 1.5 फीट की स्थापित थी, जिनकी सूंड खण्डित होने से लोहे के तार से उसे जोड़ा गया था। उक्त दिनांक को वह सुबह में मन्दिर में पूजा-अर्चना के लिए गया हुआ था, तो वहां मूर्ति विराजमान नहीं थी, कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। इन आधारों पर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया, ...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना चितरी पर अभियोग संख्या 40/2002 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 457, 380, 120बी भा.द.सं. में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक किया गया। अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 120बी भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गए, तो अभियुक्त ने अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अन्वीक्षा के दौरान मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 नरेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 2 नरेन्द्र कुमार पिता मगनलाल, पी.डब्ल्यू. 3 जयंतिलाल, पी.डब्ल्यू. 4 हीरालाल, पी.डब्ल्यू. 5 प्रदीप कुमार, पी.डब्ल्यू. 6 कैलाशचन्द्र, पी.डब्ल्यू. 7 भेमजी, पी.डब्ल्यू. 8 राकेश, पी.डब्ल्यू. 9 मुकेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 10 रिक्त, पी.डब्ल्यू. 11 हेरम्ब एवं पी.डब्ल्यू. 12 डायालाल को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-31 को प्रदर्शित करवाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी सूचीकरण में पी.डब्ल्यू. 10 रिक्त रह गया है।

5. अभियुक्त के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् दिनांक 15.05.2026 को किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.03.2002 एवं 15.03.2002 की दरमियानी रात्रि में मौजा गलियाकोट में जैन मन्दिर के सामने स्थित गणेश मन्दिर में चोरी की नीयत से अपनी मौजूदगी को छिपाते हुए रात्रौप्रच्छन्न गृहअतिचार/गृहभेदन करते हुए उक्त मन्दिर में स्थापित गणेशजी की प्रतिमा को बेईमानीपूर्ण आशय से चुराकर ले गये? यदि हां, तो उचित दण्ड होगा?''*

7. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थी पी.डब्ल्यू. 1 नरेन्द्र कुमार ने अपनी

Authenticated document

साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि करीब पांच वर्ष पूर्व गलियाकोट में रिद्धी-सिद्धि सहित गणपती की मूर्ति चोरी हो गई थी। सुबह सात बजे जब वह मंदिर पर दर्शन करने गया, तो वहां पर मूर्ति नहीं थी, कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया था, इस बाबत् उसने थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दी। चॉक एफआईआर प्रदर्श-2 है। पुलिस ने नक्शामौका प्रदर्श पी-3 उसके समक्ष बनाया था। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-4 है। इन सभी फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन अधिकारी की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि अभियुक्त हरिओम और पोपटलाल ने उनके मकान से चोरीशुदा मूर्ति नहीं कराई थी और न ही पुलिस ने उसके सामने उक्त अभियुक्तगण ने मूर्ति बरामद की थी। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से साक्षी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 व फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-4 पर सिर्फ अपने हस्ताक्षर होना कहा, फर्दों के बारे में जानकारी नहीं होना बताया।

8. इसी प्रकार फर्द बरामदगी का साक्षी पी.डब्ल्यू. 2 नरेन्द्र कुमार पिता मगनलाल ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2003 में उनके गांव में स्थापित रिद्धि-सिद्धि गणेशजी की मूर्ति चोरी हो गई थी। वह अभियुक्तगण को शक्ल से जानता है। पुलिस अभियुक्तगण के साथ गणेशजी के मंदिर पर उसे साथ लेकर गई थी, जहां पर मुलजिम ने कहा था कि उसने तथा एक अन्य व्यक्ति ने मूर्ति चोरी यहां से की थी, पुलिस ने फर्द निशानदेही घटनास्थल उसके समक्ष प्रदर्श पी-5 बनाया था। अभियुक्त ने जिस स्थान पर मूर्ति को छिपाकर रखा था उस स्थान पर लेकर गई थी और गड्डा खोदकर मूर्ति को बरामद कराया था। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-6 है, इस पर उसके ए से बी हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि मूर्ति उसके सामने बरामद नहीं की थी, बल्कि पुलिस ने उसे मूर्ति बरामद कर बताया था। पुलिस ने उसे थाने पर बुलाकर कागजों पर साईन करवाये थे।

9. साक्षी पी.डब्ल्यू. 3 जयंतिलाल ने उसकी साक्ष्य में कहा है कि उसे नरेन्द्र पिता बसंतलाल ने गणेशजी की मूर्ति चोरी होने की बात बताई थी तथा वह मूर्ति को देखकर पहचान सकता है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे।

10. नक्शा मौका का साक्षी पी.डब्ल्यू. 4 हीरालाल ने उसकी साक्ष्य में पुलिस द्वारा उसके समक्ष नक्शा मौका गणेशजी की मूर्ति चोरी बाबत प्रदर्श पी-3 बनाना कहा, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की थी, उसे नहीं पता।

11. गवाह पी.डब्ल्यू. 5 प्रदीप कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2002 में उसके सामने अभियुक्त पोपटलाल को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-6 के तथा अभियुक्त हरिओम को प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तार किया था। अभियुक्त पोपटलाल उसे पुलिस के साथ घोटाद गांव ले गया था और वहां एक खुली छत के मकान के अंदर खड्डा

Authenticated document

खोदकर गणेशजी की मूर्ति बरामद कराई थी, इस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि वह अभियुक्त हरिओम तथा पोपटलाल को नहीं जानता है और ना ही उन्हें पहचान सकता है। पुलिस वालों के कहने के आधार पर अभियुक्तगण की पहचान कर उक्त दो व्यक्ति अभियुक्त पोपटलाल व हरिओम होना कहा। मूर्ति किसके मकान से बरामद हुई, उसे नहीं पता। उसके सामने किसी मुलिजम को गिरफ्तार नहीं किया था। बरामदगी नक्शे में पुलिस ने किस जगह क्या बताया है, वह नहीं बता सकता।

12. गवाह पी.डब्ल्यू. 6 कैलाशचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2002 में पुलिस थाना चितरी के पुलिस जाब्ते के द्वारा दो गिरफतारशुदा अभियुक्तों के साथ घोटाद गांव में पंचवटी के पास एक रूम बिना छत वाले होकर उसमें गिरफतारशुदा अभियुक्तगण के द्वारा उसे वहां पर ले जाकर गणपती व विष्णुजी की मूर्ति बरामद कराई थी, जिस पर पुलिस ने कागज बनाया था। फर्द बरामदगी मूर्ति गणेशजी प्रदर्श पी-4 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी विष्णुजी की मूर्ति प्रदर्श पी-8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्रदर्श पी-6 व 7 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। जो गिरफतारशुदा लोग थे, जिनमें एक का नाम पोपटलाल होना तथा दूसरे का नाम उसे नहीं पता होना कहा। उक्त साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन अधिकारी की प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-6 व 7 से अभियुक्त पोपटलाल व हरिओम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे दो अभियुक्तगणों, जिसमें से एक पोपटलाल भी था के साथ घोटाद गांव में पंचवटी के पास बने एक कमरे पर ले जाकर मूर्तियां बरामद करवायी। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-4, 8, 6 व 7 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि प्रदर्श पी-4 व 8 पर जो बरामदगी बतायी गई है, वह मकान किसका था।

13. गवाह पी.डब्ल्यू. 7 भेमजी ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2002 में पुलिस को उसने सरपंच होने के नाते जितेन्द्र को मकान बनाने हेतु ग्राम सभा की बैठक में जितेन्द्र की पत्नी श्रीमती कौशल्या के नाम से इंदिरा आवास स्वीकृति हेतु जमीन दी थी, जिस पर ईंटों का बना हुआ कमरा होकर छत खुली थी व लोहे का किवाड़ बंद था। रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 उसने दी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व उसकी सील अंकित है। उक्त साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि फर्द प्रदर्श पी-13 में लिखी गई ईबारत लंबा समय होने से याद नहीं होना कहा। उक्त फर्द पर अपनी सील व हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। निर्माणाधीन कमरे को जितेन्द्र व उसकी पत्नी कौशल्या के नाम से स्वीकृत किया गया था। कौशल्या व जितेन्द्र में मन-मुटाव होने से दोनो अलग हो गये थे। उनकी अनुपस्थिति में उक्त मकान पर कौन रह रहा था, यह उसकी जानकारी में नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष मूर्तियां

Authenticated document

बरामद नहीं की। प्रदर्श पी-13 में क्या लिखापढ़ी की है, उसकी जानकारी में नहीं है। प्रदर्श पी-13 में क्या लिखकर दिया, उसकी जानकारी में नहीं है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 8 राकेश ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2002 में पुलिस ने उसके कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, जो प्रदर्श पी-5, 6 व 7 पर ए से बी है। उक्त साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ तथा अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में कहता है कि प्रदर्श पी-5 में पुलिस ने एक मोटरसाईकिल बरामद की थी, जिस संबंध में उसके हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस ने जिस मंदिर से चोरी हुई थी, उस स्थान की तस्दीक कराई थी, जो प्रदर्श पी-6 व 7 है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में बताया कि उसे नहीं पता कि मोटरसाइकिल को पुलिस ने किससे बरामद किया था। मन्दिर में जब पुलिस आयी, तब पुलिस वाले और साक्षी ही थे, कोई अभियुक्त वहां पर उपस्थित नहीं था। पुलिस ने फर्दों पर क्या लिखा, उसे याद नहीं है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 9 मुकेश कुमार ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2002 में पुलिस वालों ने अभियुक्त को पकडकर घटनास्थल की मौका तस्दीक गलियाकोट आबादी जैन मंदिर के पास से गणेशजी की मूर्ति चुराने बाबत कराई थी, जो प्रदर्श पी-5 है। इस संबंध में पुलिस ने मोटरसाईकिल जरिये फर्द प्रदर्श पी-5 के जब्त की थी। पुलिस द्वारा गणेशजी की मूर्ति चोरी करने के बाद जहां पर छिपाई थी, उस स्थान की तस्दीक कराई थी, जो प्रदर्श पी-6 है। उक्त फर्दों तथा प्रदर्श पी-7 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में कहा कि फर्द प्रदर्श पी-5 लगायत 7 में लंबा समय होने से पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की, उसे ध्यान नहीं है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि पुलिस ने जितेन्द्र तथा हरिओम को गिरफ्तार किया हो तथा उनके द्वारा बताए गए स्थलों की तस्दीक करते हुए हस्ताक्षर कराये हो। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-5 लगायत 7 में की गई लिखापढ़ी उसे नहीं पता। पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा था, उसे जानकारी में नहीं है। उक्त फर्दों में किस जगह उसके हस्ताक्षर करवाये थे, उसकी जानकारी में नहीं है।

16. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 11 हेरम्ब ने अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाहियों की संपुष्टि करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित माना है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि अभियुक्त पोपटलाल को जिस स्थान से पकड़कर लाये, उसकी रपट संलग्न नहीं है। इसे स्वीकार किया कि गणेशजी की मूर्ति अभियुक्त पोपटलाल के मकान से बरामद नहीं हुई थी। बरामदगीस्थल पर कोई निवासरत था या नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है। बरामदगीस्थल के आसपास बस्ती हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। बाद में कहा कि बरामदगीस्थल के आसपास कोई व्यक्ति

Authenticated document

उपलब्ध नहीं हुआ था। बरामद मूर्ति पुरातात्विक महत्व की होने बाबत् संबंधित विभाग से कोई जांच नहीं करवायी थी। मुलजिमान की शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं कराना कहा।

17. गवाह पी.डब्ल्यू. 12 डायालाल ने अपनी साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि, वर्ष 2002 में थाना चितरी वाले वह, मुल्जिम जितु व जगदीश पाटीदार मंदिर का पुजारी सरेडी रोड पर भीमसौर व सरेडी के बीच लेकर गये थे, जहां पर लिखापढी की थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-20 है, बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-23 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर माताजी की मूर्ति पुजारी ने पहचानी थी। पुलिस वालों ने चोरीशुदा स्थान का नक्शामौका प्रदर्श पी-22 बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि पुलिस ने किस व्यक्ति से मूर्ति बरामद की, वह अधिक समय होने से उसे याद नहीं है। उसके द्वारा हस्ताक्षरित फर्दें पुलिस थाने में बैठकर बनाना कहा।

18. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित समस्त साक्षीगण का समग्र विवेचन करे, तो लगभग सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण या तो पक्षद्रोही हो गए हैं या उनकी साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में पूरी तरह खंडित हो चुकी है। प्रकरण में बरामदगी पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है, क्योंकि साक्षियों ने अपने सामने मूर्ति बरामद होने से साफ इनकार किया है और इसे केवल पुलिस थाने या बंद कमरे की कागजी कार्यवाही बताया है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने माना है कि मूर्ति पोपटलाल के आधिपत्य या मकान से बरामद नहीं हुई थी। पी.डब्ल्यू. 5 प्रदीप कुमार ने स्पष्ट कहा कि वह अभियुक्त को पहचानता ही नहीं है और अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त की कोई विधिक शिनाख्तगी परेड नहीं करवाई, जो कि कथित अज्ञात चोर के मामले में एक घातक त्रुटि है। साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है कि पुलिस ने घटना के वास्तविक अनुसंधान के स्थान पर केवल थाने में बैठकर हस्ताक्षरित फर्दें तैयार की हैं ।

19. अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से अभियोजन पक्ष अभियुक्त पोपटलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

20. परिणामस्वरूप अभियुक्त पोपटलाल पिता भीखालाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी सीमलवाड़ा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 120बी भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त पोपटलाल न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसकी रिहाई आदेश अविलम्ब जारी किये जावे। अभियुक्त रिहाई से 7 दिवस के भीतर धारा 437ए द.प्र.सं./481 भा.ना.सु.सं. के जमानत मुचलके न्यायालय में प्रस्तुत करे।

(मदनलाल बालोटिया)

Authenticated document

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

21. निर्णय आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

Steno Gr. III
DARSHAN KUMAR SUTHAR
Digitally signed by DARSHAN KUMAR SUTHAR
Location: ACJM COURT, SAGWARA
Date: 2026.06.05 08:18:00 +0000

Authenticated document